

मध्यप्रदेश विधान सभा

नून - अगस्त, 1991 सन्

कैलिक कर्तव्य सूची

सोमवार, दिनांक 1 नुलाई, 1991 (आषाढ 10, 1913)
समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पुथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2- पत्रों का पटल पर दखा जाना।

श्री सुधाकर बापट, राज्य मंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटररायन कराधान अधिनियम 1947 (क्रमांक 6 सन् 1947) की धारा 3-ए की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8-3-87-3ाठ, दिनांक 7 जून, 1991 जिसके द्वारा मध्यप्रदेश मोटररायन कराधान अधिनियम, 1947 की तृतीय अनुसूची में किये गये संशोधन को पटल पर रखेंगे।

3- नियम 138 (१) के अधीन व्यानाकरण।

(१) सर्वश्री आरिफ अकील/रामानन्द सिंह, सदस्य भोपाल के रेतघाट एवं कुछ अन्य क्षेत्रों से हटाये गये लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री गजराज सिंह सिकरवार/डा. धर्मवीर/डा. गोविन्द सिंह, सदस्य गवालियर स्थित सिमको कारखाने के श्रमिकों के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4- विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र।

मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 181 खेरलांजी से वर्ष 1990 के आम चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री विश्वेश्वर भगत द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना।

5- वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य चार्चा।

भोपालः

दिनांक 29 जून, 1991

विश्वेश्वर मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा